न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 79 / 2023

GCMS No. : 2023/140

प्रार्थीः– **बनाम** **अप्रार्थीगण :–**

आन्नद कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली

श्री भगाराम चौधरी पुत्र श्री रूपाराम चौधरी मैसर्स महावीर किराणा स्टोर जोधा चौक बाली जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011

उपस्थित :–
खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित
अप्रार्थी स्वंय उपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांक :– 26-7-2023

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने वक्त बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में पदस्थापित है। दिनांक 13.02.2023 को दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स महावीर किराणा स्टोर जोधा चौक बाली जिला पाली पर गया, वहां पर अप्रार्थी भगाराम चौधरी पुत्र श्री रूपाराम चौधरी स्वंय उपस्थित मिला, जो आमजन को चाय पत्ती (ब्राण्ड हंसाणी) विक्रय कर रहा था। प्रार्थी ने अपना परिचय दिया तथा परिचय पत्र दिखाया और बताया कि मैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी हूँ। अप्रार्थी की उपस्थिति में फर्म का निरीक्षण करने पर मौके पर चाय पत्ती (ब्राण्ड हंसाणी) के 20–25 पैकेट रखे हुए थे, जिनमे मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने प्रपत्र 5ए भरकर दिया व प्रपत्र 5ए की दूसरी प्रति पर रसीद प्राप्त कर गवाहान व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाए। प्रपत्र 5ए देने से पहले अप्रार्थी को यह बता दिया था कि चाय पत्ती (ब्राण्ड हंसाणी) का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के अन्तर्गत जांच हेतु ले रहा हुं। प्रार्थी ने मालिक व गवाहान की उपस्थिति में 4 मूल पैकेट वास्ते जांच हेतु क्रय किया तथा उसका मूल्य 800/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर प्रार्थी अप्रार्थी व गवाह के हस्ताक्षर है। उक्त क्रयसुदा चाय पत्ती (ब्राण्ड हंसाणी) को चारो नमूना पैकेट पर लेबल लगाकर कोड व सिरियल नम्बर आर–1664 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा प्रार्थी स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये। नियमानुसार नमूना लेकर चारो सीलबन्द नमूना पैकेट को अपने जाब्ते मे लिया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही प्रार्थी ने मौके पर अप्रार्थी एवं गवाह के सामने मौके पर ही की। मौके पर उपस्थित लोगो को गवाह बनने पर कहने पर कोई तैयार नही की स्थिति में सरकारी गवाह भुराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली को गवाह बनाया प्रार्थी ने मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर, हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की तथा प्रत्येक पर नमूना सील लगाई। एक नमूना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति लिफाफे में बन्द कर सील मोहर करके खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की गई। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन क्रमांक एल.एस./241/एक्ट/2023/279 दिनांक 01.02.2023 के अनुसार मेरे द्वारा अप्रार्थी की फर्म से

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

लिया गया चाय पत्ती (ब्राण्ड हंसाणी) के नमूने को Mis Branded पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Mis Branded चाय पत्ती (ब्राण्ड हंसाणी) का विनिर्माण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने वक्त बहस प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित सभी तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म पर की गई कार्यवाही खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों अनुसार नही की गई है। अप्रार्थी अनपढ एवं छोटा व्यापारी है अधिकृत विक्रेता से चाय पत्ती (ब्राण्ड हंसाणी) के खरीद बिल दुकान में खो जाने से पेश करने में असमर्थ है अप्रार्थी द्वारा जिस अवस्था में अधिकृत विक्रेता से चाय पत्ती (ब्राण्ड हंसाणी) खरीद किया जाता है उसी अवस्था में आमजन को विक्रय किया जाता है जिसमें अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का परिवर्तन नही किया जाता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर अप्रार्थी को राहत प्रदान करावें।

हमने उभयपक्ष बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखो का अवलोकन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.02.2023 को दौराने गस्त अप्रार्थी की फर्म पर गया तो, वहां पर अप्रार्थी भगाराम चौधरी (मालिक) उपस्थित मिला। प्रार्थी ने अप्रार्थी एवं गवाहान की उपस्थिति में प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा अप्रार्थी व गवाह की उपस्थिति में अप्रार्थी की फर्म से मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा आमजन को बिकी हेतु रखे चाय पत्ती (ब्राण्ड हंसाणी) को वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–1664 अंकित कर सीलबन्द किया गया एवं नियमानुसार विहित प्रक्रिया अपनाते हुए नमूना वास्ते जांच जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर की रिपोर्ट क्रमांक / एल.एस. / 241 / एक्ट / 2023 / 279 दिनांक 01.02.2023 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–1664 को Misbrand under section 3(1)(zf)(c)(i) of Food Safety and Standards Act-2006 के तहत पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन है, अप्रार्थी द्वारा मिथ्याछाप चाय पत्ती (ब्राण्ड हंसाणी) का विक्रय किया है जो प्रार्थना पत्र एव पत्रावली के सलंग्न दस्तावेजो से स्पष्ट होता हैं जो इसी अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा खाद्य पदार्थ चाय पत्ती (ब्राण्ड हंसाणी) मिथ्याछाप (Misbranded) का उत्पादन विनियमय एंव विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी पर 50,000 /– अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र, की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही प्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 26-7-23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राज.)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)